पाँच रुपये FIVE RUPEES रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, खण्डपीठ इन्दौर म. प्र. के समक्ष

(13)

R 281-PBR17

हिन्दुसिंह पिता बजेसिंह
निवासी– ग्राम कनाड़िया तह. व जिला इन्दौर ——प्रार्थी

विरूद्ध

दशरथसिंह पिता हटेसिंह
निवासी– ग्राम कनाड़िया तह. व जिला इन्दौर ——प्रत्यर्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भ.रा. संहिता 1959

मान्यवर,

गिगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ तहसीलदार महोदय, विजय नगर क्षेत्र इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 14/अ–70/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24/11/2016 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 287-पीबीआर/2017 [हिन्दू सिंह/दशरथ सिंह] **जिला इंदौर**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील व जिला इंदौर के प्र. क्र. 14/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24-11-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिताकी धारा 250 में स्पष्टप्रावधानहै कि अनाधिकृत कब्जे को 2 वर्ष के भीतर आवेदन पत्र कब्जा लिये जाने हेतु दिया जा सकता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवधि बाह्य आवेदन को ग्राह्य कर जो आदेश दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है । 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित है कि सीमांकन की कार्यवाही की वैधता का विचारण साक्ष्य द्वारा ही हो सकता है मात्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर प्रकरण समाप्त नहीं किया जा सकता है । आवेदक अपनी साक्ष्य तहसील न्यायालय के समक्षप्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	